(म० प्र० ...),

शिवनारायण पुत्र खेमचंद जाति मीना आयु लगभग 68 वर्ष,
धंधा कृषि निवासी ग्राम भाटनी कृषक ग्राम पीपलखेड़ी
तहसील व जिला रायसेन ——————— निगरानीकर्ता
श्री एस. एन. सेन अभि० द्वारा ... आवेदक,
प्र० निग० आज दिनांक 24-4-2002
को कैम्प भोपाल पर प्रस्तुत की गई ।

विरुद्ध

1. प्रेमकुमार पुत्र देवकिशनदास धंधा व्यवसाय, ...
   कृषक ग्राम पीपलखेड़ी निवासी विदिशा, ...
   तहसील व जिला विदिशा,
2. म० प्र० शासन द्वारा जिलाध्यक्ष रायसेन, ——————— अनावेदकगण,

24-4-2002

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 4(3) म० प्र० कृषि जोत सीमा ...
सहपठित धारा 50 म० प्र० भू-राजस्व संहिता ।

निवेदन

माननीय महोदय,

आवेदक निगरानीकर्ता की ओर से अधिनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त एवं अधिकारी भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31-3-89 शासन विरुद्ध प्रेम कुमार निवासी विदिशा सीलिंग प्रकरण क्र० 13/ सी/ 79-80 से दुखित होकर जानकारी दिनांक 15-4-02 से उचित समयावधि में ठोस तथ्य प्राकृतिक विधिक आधारों पर निगरानी याचिका प्रस्तुत की है ।
... कर्ता

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1026–दो / 2002 जिला रायसेन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10–12–2015	आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । आवेदक की ओर से यह निगरानी म.प्र. कृषि जोत अधिकतम सीमा अधिनियम, 1964 (जिसे संक्षेप में अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 4 (3) सहपठित म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है । अधिनियम की धारा 4 (3) के अंतर्गत सक्षम अधिकारी के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है, निगरानी प्रस्तुत किए जाने का प्रावधान नही है, और न ही संहिता की धारा 50 के अंतर्गत सीलिंग प्रकरण में पारित आदेश के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है । अतः यह निगरानी विधि के प्रावधानों के विपरीत प्रस्तुत किए जाने के कारण इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है, गुण–दोष पर विचार किये जाने की आवश्यता नहीं है । 2/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी विधि अनुसार प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण निरस्त की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	